

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 3487/14-1, आगरा, दिनांक 27 मार्च, 2017

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
आगरा।

विषय :- जनपद-आगरा, तहसील-फतेहाबाद में शमसाबाद-राजाखेड़ा मार्ग के कि०मी० चैनेज 26.332 पर मार्ग की बाँयी पटरी के किनारे ग्राम-एल्मादपुर-अजनेरा के खसरा सं०-203 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमि० द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0744188 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्र सं०-2865/14-1 दिनांक 03.03.2017

महोदय,

सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित उक्त विषयक प्रस्ताव के परीक्षण पर निम्न त्रुटियाँ पाई गई हैं, जिनका निस्तारण कर पुनः प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत करें :-

- 1- वन संरक्षक, आगरा वाली प्रति के संलग्नक-24 पर हस्ताक्षर नहीं हैं।
- 2- संलग्नक सं०-50, 51 व 52 पर प्रस्ताव विभाग के किसी नामित अधिकारी के हस्ताक्षर सभी प्रतियों पर नहीं हैं।
- 3- प्रस्ताव के साथ संलग्नक-46, 47, 48 व 49 पर प्रस्तावक के हस्ताक्षर नहीं हैं।
- 4- अभिलेख पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः प्रस्ताव 04 प्रतियों में इस आशय से वापस किया जा रहा है कि पाई गई त्रुटियों का निस्तारण कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा पत्रावलियों का भैली प्रकार अवलोकन करें, यदि और कोई त्रुटि हो तो उसे भी चैक बिन्दु लिस्ट के अनुसार पूर्ण करें।

संलग्नक :- प्रस्ताव 04 प्रति में।

भवदीय,

(पी० पी० सिंह)

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा।

20/3/17